[Shri P. C. Sethi]

amount that has to be disbursed to the various States till 31st March, 1970.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : By now the details must be available.

SHRI P.C. SETHI : Whatever major portions of details that are available with me I have given. The rest of the amount has to be distributed to the respective States. Therefore, if there is any shortage in the amount, that would be taken care of as this is upto 31st March, 1970 that I am asking for the vote of the House.

I think I have tried to cover all the points raised by the hon. Members and I have nothing more to add.

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, अब प्रधान मंत्री का बयान आने दीजिए क्योंकि इस के बाद ऐप्रोप्रिएशन बिल आयेगा । उस पर और समय जायेगा । वह अपना बयान पहले कर लें ।

MR. CHAIRMAN : I shall now put all the cut motions to vote.

All the cut motions were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the order paper be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of the following demands entered in the second column thereof: Demand Nos. 5, 16, 19 to 21, 23 to 26 29, 33, 34, 37, 40, 42 to 44, 46, 47, 49 to 54, 59, 62, 64, 66, 75, 77, 78, 83, 87, 90, 93, 103, 109, 112, 114, 119 to 121, 124 to 126, 129, 132 and 134".

The motion was adopted.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूँ कि जो कार्रवाही की जा रही है उसको स्थापित किया जाय और पंजाब विधान सभा में जो घटना हुई है उस पर विचार किया जाय । आपने सुना होगा कि पंजाब विधान सभा ने सरकार को एप्रोप्रिएन बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी, विधान सभा की बैठक स्थगित कर दी गई और वहाँ एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है ।

मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार के पास कोई रिपोर्ट आई है या नहीं । अगर आई है तो प्रधान मंत्री को इस सदन को विश्वास में लेना चाहिए ।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमारे पास कोई डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं आई है । जो समाचार माननीय सदस्य ने सुना है वही हमने सुना है ।

16.16 hrs.

APPROPRIATION BILL 1970.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P.C. SETHI) : I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1969-70.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1969-70".

The motion was adopted.

SHRI P. C. SETHI : I introduce the Bill.

---

*Published in Gazette of India Extraodinary, Part II section 2, dated 25.3.70.
†Introduced/moved with the recommendation of the President.

I beg to move :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1969-70, be taken into consideration".

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1969-70, be taken into consideration".

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : एक बात मैं मांग संख्या 16 के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। इसमें नेपाल की सीमा पर जो तस्कर व्यापार चलता है उसको रोकने के लिए 20 लाख रुपये का खर्च दिखलाया गया है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि नेपाल के साथ नवम्बर, 1968 में एक समझौता हुआ था जिसकी तहत नेपाल ने स्वयम् स्वेच्छा से स्वीकार किया था कि वह अपने ऊपर नियन्त्रण लगायेंगे सिंथेटिक फैब्रिक्स और स्टेनलेस स्टील के आयात के बारे में। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कि क्या इस समझौते का पूरी तरह पालन आप लोगों ने करवाया है और यदि नहीं करवाया है और जो समझौता हुआ था उससे अधिक माल और भारत में आया है तो उसको रोकने के लिए आपने क्या कार्रवाई की। आप सफाई दें कि यह बीस लाख रुपया हम क्यों मंजूर करें।

रकसौल और जोगबनी आदि सीमावर्ती इलाके हैं। उनके बारे से मैं सरकार को लिख चुका हूँ। वहां कस्टम्ज का अच्छा इंतजाम नहीं है। उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं स्वयं वहां गया था और रकसौल में मैंने देखा कि वहां ठीक तरह का कस्टम हाउस नहीं है और न ही आने जाने वालों के लिए कोई शैड का इंतजाम है। उसकी तफ़सील भी मंत्री महोदय दें।

नेपाल के बारे में तीसरी बात यह है कि मुझे जानकारी मिली है कि वहां पर तैयार कपड़ों का जो व्यापार लोग करते हैं उनके पास नेपाल से चिट्ठियां आने लगी हैं कि रैडी मेड गारमेंट्स पर सरकार द्वारा जो रोक लगाई गई थी उसको उठा लिया गया है। इसके बारे में भी मैं सरकार को लिख चुका हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि तैयार गारमेंट्स मंगाने पर कोई रोक है या नहीं है।

कैबिनेट के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। यह बहुत ही विचित्र मांग है। इसका नम्बर 44 है। दो बार मंत्रियों के और मंत्रियों के जो अफसर हैं उनके दौरे पर खर्चा किया गया है। एक दफा 3 लाख 31 हजार और दूसरी बार 4 लाख 90 हजार। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मध्यावधि चुनाव के लिए दौरे करने के लिए इस रकम का इस्तेमाल किया गया ? इसकी आप स्पष्ट जानकारी दें। इन्होंने कहा है कि यह फ्लक्चुएटिंग प्रकार का खर्चा है और नई लायाबिलिटीज को मीट करने के लिए इसको किया गया है। मैं तफ़सील चाहता हूं कि क्या मध्यावधि चुनाव के लिए या राज्य सरकारों को गिराने के लिए ये सारे दौरे किए जा रहे हैं और उसके लिए अतिरिक्त मांग हमारे सामने पेश की गई हैं। इस वक्त सचिवालय का नाम तीन स्तरों पर चल रहा है। एक तो विभागीय सचिव है। हैं। दूसरा केबिनेट का सचिवालय है। इनके अलावा एक अदृश्य सचिवालय है जिस को प्रधान मंत्री का सचिवालय कहा जाता है। विभागीय सचिवों द्वारा जितनी फाइलें वगैरह भेजी जाती हैं स्वयं प्रधान मन्त्री उनको तो देख नहीं पाती हैं और शायद शासन की जो तफ़सीली बातें हैं उनमें उनकी रुचि भी नहीं है क्योंकि उनका समय तो लोगों को गिराने में और उठाने में और सरकारों को तोड़ने में इतना ज्यादा जा रहा है कि प्रशासन का जो काम है उस पर वह निगरानी रख ही नहीं

[श्री मधु लिमये]

पाती हैं और न ही उसके ऊपर कोई नियंत्रण रख सकती है। नतीजा यह हो रहा है कि प्रधान मंत्री का जो सचिवालय का अदृश्य राज्य एकमाने में चल रहा है। इस सचिवालय में हक्सर आदि जो लोग काम करते हैं, उनके बारे में मैंने यह शिकायत सुनी है कि विभागीय सचिव जितने सुझाव देते हैं, उन में परिवर्तन करने का काम मनमाने ढंग से ये लोग करते हैं और इसको लेकर विभागीय सचिवों में बड़ा असन्तोष है। आज प्रधान मंत्री बैठी हुई है। वह निश्चित रूप से बताए कि केबिनेट के सचिवालय, विभागीय सचिवालय और प्रधान मंत्री जी के सचिवालय इनके आपसी रिश्ते क्या हैं और क्या कोई अदृश्य शासन तो नहीं चल रहा है जिस के चलते इस सदन के प्रति सरकार की जो जिम्मेदारी है और सचिवों का जो काम है, उस में भी रूकावट उत्पन्न हो सकती है।

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA (Amand): While speaking on the Appropriation Bill I should like to draw the attention of the Government to some provisions. We are using public money and we should be extremely careful and use that money as responsible persons. I was not given an opportunity to speak on supplementary demands. I find that air coolers and air conditioners have been supplied to the secretariat and house hold of the President to the ture of Rs. 76,000. Further a sum of Rs. 2 lakhs had been provided for Delhi High Court and also for the Delhi High Court judges for furniture and air conditioners. This reflects very badly on us. We should be wise and careful in spending every penny that we collect and the amount should be spent not in this way on air coolers and air conditioners. Unless the people of India have two square meals a day and have houses to live and get medical and educational facilities, this type of expenditure should not be there.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): सरकार ने इनकम टैक्स के इकवेशन को रोकने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। में इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इनकम टैक्स ला दिन प्रति दिन कम्प्लिकेटिड होता जा रहा है। आप हर साल जो इनकम टैक्स ला को बदलते हैं यह ठीक नहीं है। इसको सिम्प्लीफाई किया जाना चाहिए। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि ऐसी बाडी बनाई जाये जो इस टैक्स को सिम्प्लीफाई करने के सुझाव दे। मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास दिलायें कि एक बार एक्ट जब बन जाए तो कम से कम पांच सात साल में कोई मेजर चेजिज नहीं की जायेगी।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। कल हमने विधेयक भी पास कर दिया है। सरकार घोषणा करे कि इतने परसेंट एग्रिकलचर सैक्टर को जाएगा, इतने छोटे ट्रेडर्ज को जायेगा इतने परसेंट छोटी इडस्ट्री को जायेगा। छोटे छोटे जो ट्रेडर हैं, उनको जो दिक्कतें लोन लेने में होती हैं, वे दूर होनी चाहिये।

स्टेट्स के बजट सैशन शुरू हो चुके हैं। प्रायः हर गवर्नमेंट ने, जैसे बंगाल, पंजाब तमिलनाडू, आदि सेंटर को क्रिटिसाइज किया है। यह ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उन पर छोने की बजह से उन्हें वे बातें कहनी पड़ी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट उनके द्वारा कहलवाना चाहती थीं। लेकिन उनका एक दूसरा रोल भी है। वे आपके नुमाईंदे भी हैं। उस वास्ते एक बड़ी कम्प्लिकेटिड सी सिचुएशन पैदा हो गई है। उसके बारे में कोई व्यवस्था सरकार को सोचनी चाहिये ताकि एम्बैरेसिंग पोजिशन पैदा न हो। विधान के अन्दर भी हाउस को कब प्रोरोग किया जाये और कब न किया जाये, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। हरियाणा और कश्मीर आदि में जो कुछ हुआ है, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिये।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है प्रधान मंत्री दिल्ली से कुछ नाराज हैं। दिल्ली को

जितना पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलता है। रेड्डी कमिशन ने कहा था कि गन्दा पानी बन्द होना चाहिये, साफ पानी होना चाहिये। 1958 में यह रिपोर्ट मिली थी ; लेकिन दिल्ली को आज तक कोई पैसा नहीं मिला है। बारह साल से नहीं मिला है। डी०टी०यू० की सर्विस खराब होती जा रही है। दो साल से डी०टी०यू० को भी एक पैसा नहीं दिया गया है। इस चीज में पालिटिक्स नहीं आना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और आपकी इस नाते उसके प्रति एक विशेष जिम्मेदारी है। प्रधान मन्त्री यहां रहती हैं। वह यहां की वोटर हैं। इसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये।

फूड कारपोरेशन का घाटा दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि कम्पीटीशन होना चाहिए प्राइवेट ट्रेड में और पब्लिक ट्रेड में। ये जो फूड जोन हैं ये खत्म होने चाहिये। गेहूं का जो जोन आपने बढ़ाया हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं।

SHRI P. C. SETHI : We were in correspondence with His Majesty's Government of Nepal for finalising the procedure with regard to the agreement, but we did not get much of response. So, from April, 1969, import was allowed only on the basis of our figures of import during the Napalese year 1967-68 and from 1.9.1969 no import is being allowed in view of the break in the agreement with His Majesty's Government. This is the position as regards the Indo-Nepalese agreement. On the border particularly we are trying to control the smuggling and we are giving the staff vehicles and modern equipment and all that. But the Indo-Nepal border is a vast border and there are so many tracks coming across Nepal into India that in spite or best efforts, smuggling is not completely cheked there. We are vigilant and every possible care is taken about this.

Then Shri Madhu Limaye also raised the question about tour expences. (*Interruption*) I have said that from 1.9.1969, as far as these items are concerned, no further import is being allowed.

श्री मधु लिमये : मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का सवाल उठाया है। वह सवाल अलग है। मैंने कई बार मंत्री महोदय को लिखा है और अपने भाषण में भी कहा है। इनको कोई जानकारी नहीं है।

SHRI P. C. SETHI : I do not have the information at present. Then, as far as the expenditure on the tours of the Ministers, etc., is concerned, I would like to assure the hon. House and also Mr. Madhu Limaye that no member of the Gabinate or Council of Ministers, whenever he goes either to attend a Congress session or for any political tour during the election, is allowed to incur any expenditure whatsoever in the form of TA or DA etc. Therefore, this apprehension that there is a rise in expenditure is not justified. (*Interruption*)

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : What was the programme there ? (*Intrruption*)

श्री प्र० चं० सेठी : रेलवे पास से गये थे।

डा० राम सुभग सिंह : आप नहीं श्री जगजीवन राम।

(*Interruption*)

SHRI P. C. SETHI : Sir, they are taking away my time.

MR. CHAIRMAN : Let him conclude.

श्री मधु लिमये : सरकार जो अतिरिक्त आठ लाख रुपये मांग रही है, मैंने उस की तफसेल माँगी है कि वह किस प्रकार खर्च हुआ, मध्यावधि चुनावों के सम्बन्ध में खर्च हुआ या सरकारों को गिराने के लिये खर्च हुआ।

SHRI P. C. SETHI : Therefore, this allegation that whenever Ministers go out the expenditure is increasing because they are participating in the elections on Government account, is not correct.

[Shri P.C. Sethi]

As far as the question of the Prime Minister's Secretariat is concerned—this has been raised by Mr. Madhu Limaye—I am very sorry to say that this reference is in bad taste. (*Interruption*). You have had your say. It is in bad taste.

श्री मधु लिमये : कोई बैड टेस्ट नहीं है। मंत्री महोदय को इस तरह आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा था कि इस में प्रशासन के बुनियादी सिद्धान्त आ जाते हैं; वह इस की सफाई करें। मैंने कोई गाल गलोज नहीं किया है। प्रधान मंत्री इस का जवाब दें। श्री सेठी प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरियट के बारे में क्या जानते हैं ? (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN : Let him conclude. You have had your say.

SHRI P. C. SETHI : Every Minister needs a staff in order to keep the work up-to-date. Whenever we receive letters from Members of Parliament, they expect that the reply should go immediately. Whenever some complaints are received, they have to be looked into. The Government work has to be done as expenditiously as possible. When Ministers are entitled to have a staff, to that extent the Prime Minister is having her Secretariat in order to help the efficiency of the work and in order to attend to the multifarious necessities of Government work. So, there is nothing wrong.

Then, he said that whatever proposals come from the various Secretaries we are turning them down. This is entirely wrong.

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, या तो मन्त्री महोदय मेरे मुद्दे को समझे नहीं हैं और या वह जान बूझ कर डिसटार्ट कर रहे हैं। इस बारे में सफाई होनी चाहिए। मेरा सवाल था कि क्या प्रधान मन्त्री का सचिवालय मनमाने ढंग से विभागों के कार्य में दखल देता है, जिसकी जानकारी कभी कभी प्रधान मंत्री जी को भी नहीं होती है, क्या वह इनविजिबल गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करता है।

SHRI P. C. SETHI : This is entirely wrong. They work with complete harmony with other departments. This allegation is not correct that even the Prime Minister does not know when the orders are passed.

Mr. Kanwar Lal Gupta raised certain points about bank advances. Out of Rs. 3000 crores of deposits expected during the fourth plan period by way of extra mobilisation, hon. member knows that 28 per cent goes to Government securities and advances to agricultural sector are also going to rise from 7.5 to 11 per cent. It is very difficult to fix targets in this manner. Advances will be given for productive purposes and for the over-all advancement of the economy as such. The various requirements of agriculture, trade, etc., will be kept in view.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1969-70, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clauses 2 and 3, the schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. C. SETHI : I beg to move :
"That the Bill be Passed."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now, the hon. Prime Minister.

SHRI J. M. BISWAS (Bankaura) : The Punjab ministry has lost the confidence of the Assembly. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : Order, order. I have called the Prime Minister.

SHRI J. M. BISWAS : I want to know whether the Prime Minister has received any further information in this regard. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : The hon. Prime Minister.

16.36 hrs.

STATEMENT *RE* : EARTHQUAKE IN GUJARAT

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Sir, we are all greatly distressed over the damage to life and property caused by the earthquake in Gujarat on Monday. My colleague, Shri D. R. Chavan has already made a statement on the subject in the House.

According to the report received from the State Government, in Broach and surrounding villages 1 man, 6 women and 16 children have lost their lives and 144 persons have been admitted to hospital, mostly with grievous injuries. Between 150 to 175 houses have either collapsed or have become unfit for further habitation and another 2000 to 2500 have been partially damaged.

The State Government rushed medical teams from Surat and Baroda, and granted immediate cash relief to the families of the affected persons. They have informed us that other relief measures are also being taken up.

We are in touch with the State Government and are awaiting further details. Yesterday, a token grant of Rs. 51,000/- from the Prime Minister's National Relief fund has been made to the State Government for immediate relief.

As my colleague Shri D. R. Chavan has said, a detailed study of the earthquake will be carried out. The head of the seismological organisation, a senior Engineer of the Central Water and Power Commission and officers of the Geological Survey are being deputed for the purpose.

We send our sympahies to the Government and people of Gujarat especially to those families who have been affected by this disaster.

MR. CHAIRMAN : The House will now take up Supplementary Demands... (*Interruptions*).

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : क्या यह सही है कि गुजरात गवर्नमेंट को इंजीनियर्ज ने बताया था कि वहां पर इस तरह का खतरा है ; अगर हां, तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या कार्यवाही की ?

[شری اسحاق سمبھلی (امروہہ) کیا یہ صحیح ہے کہ گجرات گورنمنٹ کی انجینیرز نے بتایا تھا کہ وہاں پر اس طرح کا خطرہ ہے' اگر ہاں - تو گجرات گورنمنٹ نے کیا کارروائی کی ؟]

MR. CHAIRMAN : No questions are permitted on this statement of the Prime Minister. It is enough now.

16.40 hrs.

DEMANDS* FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (MANIPUR), 1969-70; THE MANIPUR BUDGET, 1970-71; AND DEMANDS FOR GRANTS (MANIPUR), 1970-71

MR. CHAIRMAN : The House will now take up discussing and voting on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Union territory of Manipur

*Moved with the recommendation of the President.